

तारीख
हुकम

ज्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पत्र
नमूना: केस नं ५९ मुंबई

२५-६/१४

आज यह पत्रवाली राजखेड़ा लोक अदालत
आशियन जमानत आपके द्वारा केस
महदेवार नग। मे पत्र डूरी परफारहारि
अदालत से चर्चा की गयी। महदेवार
उत्तिवादीगण को स्वामी विवेकदास से पावत
करने से वादकी के लिए सिद्ध है।

जमानत
शामिल
की

वादीगण का प्रमाण है कि उत्तिवादीगण
ने उनकी वादेपत्रे एक फारकेवाह
की कार्यपत्रे तब न २०५४, २०६३, २०६५
०-०१, ०-०६, ०-०८

। रीट ग्राह महदेवार नग। पर हुपवर उल्ल
द्वारा का विवेकदास से विवादित कार्यपत्रे के
विषये, रोडाना, नाली परनाले द्वारा विवाह
की वादकी है है से को विवेकदास से है इस विवे
उसे स्वामी विवेकदास से पावत सिद्ध पाव
तब कि विवाह कार्यपत्रे की रीट विवेकदास,
द्वारा नाली परनाले द्वारा न के
अदालत की गयी। उत्तिवादीगण रीट से
गये।

अतः को देते हैं कि यह वादीगण
। रीट उत्तिवादीगण की सिद्ध पावत
उत्तिवादी से। न के स्वामी विवेकदास
से पावत सिद्ध पावत है कि यह वादीगण
की वादेपत्रे न फारकेवाह की कार्यपत्रे
न. न २०५४, २०६३, २०६५
०-०१, ०-०६, ०-०८ रीट ग्राह

महदेवार नग। तदुसीलक राजाखेड़ा की तब
विवाह कार्य करत सल को है विवेकदास
जंगल, द्वारा नाली परनाले द्वारा न के
करेंगे। पूर्वा रीट पावत है। परफारहारि
अदालत द्वारा वाद नफामाल दाखिल करत
है। इतक सुनात गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)